



E-News Letter

August 2016

Municipality is usually known as an urban administrative division having corporate status and usually powers of self-government or jurisdiction. The term municipality is also used to mean the governing body of a municipality. A Municipality is a general - purpose administrative subdivision, as opposed to a special - purpose. The term is derived from French “municipalite” and Latin “Municipalis”.

There are 188 urban local bodies in Rajasthan After enactment of 74th Constitutional Amendment Act, the Local Bodies, which were previously not the part of the Constitution of India, have now been assigned the Constitutional Status. There are 7 Corporations 34 Councils and 147 Municipalities. Total 188 ULBs in the State.

The purpose of municipal governance and strategic urban planning in a country is to create effective, responsive, democratic, transparent, accountable local governance framework organized according to a rational structure that promotes responsiveness and accountability; to provide responsive policy guidance and assistance to sub-national entities; to strengthen the legal, fiscal, economic and service delivery functions of municipalities; and to foster greater citizen participation in the governance of local bodies.



The functions of municipal bodies broadly relate to public health welfare, regulatory functions, public safety, public infrastructure works, and development activities.

Public health includes water supply (as per handover PHE), sewerage and sanitation, eradication of communicable diseases etc. welfare includes public facilities such as education, recreation, etc. regulatory functions related to prescribing and enforcing building regulations, encroachments on public land, birth registration and death certificate, etc. public safety includes fire protection, street lighting, etc. public works measures such as construction and maintenance of inner city roads, etc. and development functions related to town planning and development of commercial markets.



Various Schemes

AMRUT – (Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation)

Urban Infrastructure Development of 29 Towns > 1.0 lac population.

Total Estimated Project cost Rs 4500 cr (50% GoI, 30% GoR, 20% ULB)

Components to be covered - Water supply, Sewerage network, Septage management, Storm water drainage, Urban Transport, Green spaces and parks.



National Urban Livelihood Mission (NULM)

- Focus on Skill Training & Placement and Capacity Building / Self Employment.
- Major components- Shelter for Urban Homeless, Support to Urban Street Vendors.



स्मार्टराज कॉल सेन्टर

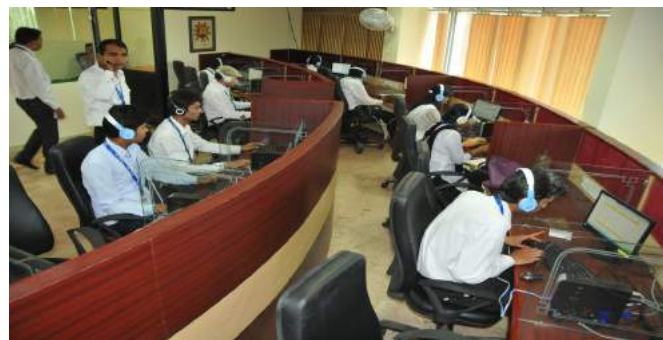
आम जनता की शिकायतों को हल करने का अनूठा प्रयास

स्वायत्त शासन विभाग कार्यालय में आमजन के लिए स्मार्ट राज कॉल सेन्टर दिनांक 11.05.2015 माननीय मंत्री महोदय श्री राजपाल सिंह शेखावत द्वारा उद्घाटन कर प्रारंभ किया गया है। जिसके टोल फ्री नंबर 1800-180-6127 है जिसमें आईवीआर नं० 2 तत्पश्चात् 1 पर आमजन की कॉल प्राप्त कर उन्हें विभाग के संबंध में चाही गई जानकारीयां उपलब्ध कराये जाने के साथ-साथ नगरीय निकायों व विभाग से संबंधित शिकायतें सम्पर्क पोर्टल पर निरंतर



दर्ज की जा रही है। 11 मई 2015 से 30 अप्रैल 2016 तक 109588 कॉल प्राप्त हुई एवं 8600 शिकायतें दर्ज की गई, जिसमें से 5894 शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है।

दर्ज शिकायतों को संबंधित निकायों/निदेशालय के अनुभागों को प्रेषित किया जाता है तथा जो शिकायतें अन्य विभागों से संबंधित हैं, उन्हें संबंधित विभागों में स्थानांतरित किया जाता है। शिकायतों के लम्बित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु कॉल सेन्टर के नोडल अधिकारियों को कॉल कर अवगत/निर्देशित किया जाता है तथा उनसे प्राप्त जवाब को भी निरंतर दर्ज कर दैनिक रिपोर्ट बनाई जाती है।



स्वच्छ भारत मिशन

खुले में शौच से मुक्त की राह में राजस्थान



स्वच्छ भारत मिशन माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा चलाया गया भारत सरकार का अत्यन्त महत्वपूर्ण अभियान है जो 02 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी की 145 जन्मदिन के अवसर पर भारत सरकार की ओर से अधिकारिक तौर पर शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य 2019 तक भारत को 'खुला शौच मुक्त भारत' घोषित करना है। स्वच्छ भारत मिशन के सफल क्रियान्वन हेतु शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा LSGD, GoR को नोडल विभाग बनाया गया।



भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत (शहरी) के 10 सितम्बर 2014 के दिशा निर्देशों के अनुसार विभाग द्वारा 'स्वच्छ राजस्थान सप्ताह' मनाया गया जो कि 02 अक्टूबर, 2014 को प्रत्येक जिले में जिला कलेक्टर द्वारा स्वच्छता शपथ लिये जाने के साथ सम्पन्न हुआ।



इसी सप्ताह को क्रमशः आगे बढ़ाते हुए "स्वच्छ राजस्थान अभियान" चलाया गया जो दिनांक 21 अक्टूबर 2014 को सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। इन अभियानों के दौरान साफ, सफाई, स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया गया और सामुदायिक जागरूकता हेतु प्रभात फेरी, रेली, श्रमदान आदि जैसे कार्य संपादित हुए। तत्पश्चात राज्य की समस्त निकायों द्वारा 08 नवम्बर से 14 नवम्बर तक सफाई अभियान चलाया गया जो बालदिवस पर सम्पन्न हुआ।

स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों की निगरानी हेतु 12 फरवरी 2015 को राज्य स्तर, जिला स्तर व शहरी स्तर पर समितियों का गठन किया गया। राज्य के 187 शहरी निकायों में 9 मार्च से 27 मार्च तक विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया जिसके अंतर्गत शहरों में नालों की सफाई, रोड़ की सफाई, पाकों की सफाई, रोड़ लाइटों का रखरखाव, स्कूलों व राजकीय कार्यालयों की सफाई, शौचालय विहीन परिवारों की पहचान (सर्वे द्वारा) आदि शामिल थे साथ ही शहरी स्तर पर प्रत्येक निकायों द्वारा सामुदायिक जागरूकता हेतु विभिन्न कार्यक्रम जिनमें वार्ड सभाएँ, नुक्कड़ नाटक, अपील, रेली आदि आयोजित की गई जिससे जन समुदाय को स्वच्छता व सफाई आदि के महत्व का पता चल सके व खुले में शौच का स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभावों का भी ज्ञान दिया गया। अगस्त 2015 को स्वच्छ भारत मिशन की गतिविधियों में सहयोग व सभी नगरीय निकाय से संपर्क स्थापित कर स्वच्छ भारत मिशन कार्य को गति देने हेतु राज्य स्तर पर परियोजना प्रबंध इकाई (PMU) का गठन किया गया है।

राज्य स्तर पर प्रत्येक संभाग की स्वच्छ भारत मिशन पर आमुखीकरण कार्यशालाओं का आयोजन सी.एम.ए. आर. द्वारा कराया गया प्रथम चरण (9 April, 16 April, 28 April & 29 April, 2015) द्वितीय चरण में परियोजना प्रबंध इकाई (PMU) तथा सिटी मैनेजर्स एसोसिएशन राजस्थान व CSC के संदर्भ व्यक्तियों द्वारा (26th October to 04th November, 2015) तकनीकी अधिकारियों और कम्प्यूटर ऑपरेटरर्स को स्वच्छ भारत मिशन पोर्टल के सम्बन्ध में जानकारी दी गई। कार्यशाला में स्वच्छ भारत मिशन के प्रत्येक घटक को विस्तार पूर्वक बताया गया और प्रत्येक शहरी निकाय को लक्ष्य बताये गए तथा 2015-16 के और संपूर्ण मिशन अवधि 2019 के बारे में जानकारी दी।

अमृत मिशन योजना

शहरी नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने हेतु अटल प्रयास...

अमृत योजना (Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत 28 शहरों के “सिटी लेवल इम्प्रूवमेंट प्लान” बनाने के लिए दो दिवसीय “हैण्ड होल्डिंग” कार्यशाला (10 व 11 अगस्त) का आयोजन स्वायत्त शासन विभाग के सभागार में किया गया।

इस कार्यशाला में स्वायत्त शासन मंत्री श्री राजपाल सिंह शेखावत ने बताया कि अमृत योजना के तहत बनाये जाने वाले “सिटी लेवल इम्प्रूवमेंट प्लान” सम्बन्धित शहर के



नागरिकों की आवश्यकताओं के अनुरूप ही बनाया जाये। जवाहर लाल नेहरू नेशनल अरबन रिन्यूवल मिशन में पूर्व में रही कमियों को अमृत योजना (Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation) में नहीं दोहराया जाये। उन्होंने कहा कि शहरों में सीवरेज योजनाओं के प्रारम्भ करने से पूर्व में जारी पेयजल योजनाओं के सशक्तीकरण एवं सेवा स्तर को सुधारते हुए कवरेज (आवृत) क्षेत्र में गेप पूरा किया जाए। उन्होंने बताया कि अमृत योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार यूनिवर्सल कवरेज (पेयजल एवं सीवरेज) को राष्ट्रीय प्राथमिकता दी गई है। इसलिए इन क्षेत्रों के गेप को पूरा होने पश्चात् ही अन्य क्षेत्रों में शहरी परिवहन एवं स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज को प्रारम्भ किया जाये।

स्वायत्त शासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव, डॉ. मनजीत सिंह ने बताया कि अमृत योजना में शहरी नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारना एक प्रमुख लक्ष्य है। इसके तहत योजना में सम्मिलित प्रत्येक नगरीय निकाय द्वारा वर्ष में एक उद्यान का विकास किया जाना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि अमृत योजना के क्रियान्वयन के लिए परियोजना के तहत एक प्रोजेक्ट डवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट कंसलटेन्ट की नियुक्ति की जायेगी जिसका कार्य शहरों का “सिटी लेवल सर्विस इम्प्रूवमेंट प्लान” बनाकर तदनुसार राज्य की वार्षिक योजना तैयार कर अनुमोदन पश्चात् डीपीआर तैयार करना एवं प्राजेक्ट के क्रियान्वयन का सुपरविजन करना शामिल है।

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निदेशक श्री दिनेश कुमार के साथ विशेषज्ञों के दल ने “सिटी लेवल इम्प्रूवमेंट



प्लान” (पेयजल सीवरेज शहरी परिवहन स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज एवं उद्यानों) के बनाये जाने के लिए प्रस्तुतीकरण दिया गया। कार्यशाला में निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग श्री पुरुषोत्तम बियाणी, मुख्य अभियंता रूफडिको श्री एस.के. गोयल, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता रूफडिको श्री ललित करोल तथा 28 शहरी निकायों के आयुक्त, अधिशाषी अधिकारी एवं अभियन्ता उपस्थित थे। कार्यशाला का आयोजन RUIFDCO तथा CMAR के संयुक्त तत्वाधान में किया गया।



Feedback / Grievances

**www.sampark.rajasthan.gov.in
State Level Smart Raj Call Center
Toll Free No. 1800-180-6127**



राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायत का निस्तारण

नगरीय निकाय में राजस्थान सम्पर्क पोर्टल के माध्यम से आमजन से प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की स्थिति :-

1. कुल प्राप्त शिकायत :- 5
2. कुल निस्तारित :- 0
3. शेष निस्तारण के प्रक्रियाधीन है :-



Contact Us

Chairman

Ph No. 01568-220004

Commissioner

Ph No. .01568-222419

Call Center Toll free No.:- 1800-180-6127